उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1164/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.233-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(292)-2023

लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित हो को ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में एतद्द्वारा अधिसूचित करती हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति (जिसे आगे उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थातः-

(i) इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यीय पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा ;

(ii) इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को संदाय करेगा ; और

(iii) इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररुप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रुप में प्रस्तुत करेगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

21/9/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव